भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1267

सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

प्रसाद योजना के तहत मंदिरों का समावेशन

1267. श्री नारायण तातू राणे:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंधुदुर्ग जिले के देवगढ़ तालुका में स्थित कुणकेश्वर मंदिर और मालवण तालुका में स्थित श्री देव रामेश्वर मंदिर को 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान' (प्रसाद) योजना के तहत शामिल करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त मंदिरों को उक्त योजना के दायरे में लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) संबंधित विकास कार्यों के लिए कितनी निधि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय अपनी “तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान” (प्रशाद) योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में चिह्नित धार्मिक और विरासत स्थलों पर पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से की जाती है।

वर्तमान में, पर्यटन मंत्रालय के विचाराधीन सिंधुदुर्ग जिले के देवगढ़ तालुका में स्थित कुणकेश्वर मंदिर और मालवण तालुका में स्थित श्री देव रामेश्वर मंदिर को प्रशाद योजना के अंतर्गत शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हालाँकि, पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त होना एक सतत प्रक्रिया है। प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जाँच की जाती है और निर्धारित शर्तों की पूर्ति तथा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
